Particulars of beneficiaries assisted under Nehru Rozgar Yojana since inception of the Scheme and as on 30-11-94 are as under :—

1. Beneficiaries assisted to set up micro-enterprises	0.12 lakhs
2. Mandays of work generated . . .	11.75 lakhs
3. Dwelling units upgraded	508
4. Beneficiaries trained .	6673

Repair of Boundary Wall by DDA in Ashok Vihar

1624. SHRI MAHESHWAR SINGH : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether as per orders of the Delhi High Court a boundary wall has been constructed by the DDA along the regional park facing 'B', 'C' and 'D' Blocks of Phase I in Ashok Bihar, Delhi;

(b) if so, whether it is a fact that the boundary wall has fallen at several places creating wide breaches in it; and

(c) if so, what action has been taken to reconstruct the boundary wall so as to prevent the Jhuggi dwellers from defecating in the park and comply with orders of the Delhi High Court ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI P.K. THUNGON) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) It has been reported by DDA that all breaches had been closed as per the orders of Hon'ble Delhi High Court. However, for a portion of the wall damaged due to widening of track by Railways during 1993 the matter has been taken up with the Railway authorities.

दिल्ली में सरकारी क्वार्टर

1625. **श्री आस मोहम्मद** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कुल कितने सरकारी क्वार्टर हैं और उनके आवंटन संबंधी नीति क्या है ;

(ख) इनमें से कितने क्वार्टर संसद सदस्यों और केन्द्रीय मंत्रियों के लिये आरक्षित हैं ;

(ग) उन सरकारी क्वार्टरों का ब्यौरा क्या है जो अभी तक भूतपूर्व मंत्रियों के कब्जे में हैं;

(घ) क्या सरकार इन क्वार्टरों को खाली कराने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) दिल्ली में साधारण पूल में विभिन्न श्रेणियों की 63,813 इकाईयां हैं। ये क्वार्टरस सरकारी वास का आबंटन (दिल्ली में साधारण पूल) नियमावली, 1963 के उपबंधों के तहत आबंटित किए जाते हैं। टाइप 1 से 4 तक में आबंटन सेवा की अवधि पर और टाइप 5 से 8 तक में आबंटन वर्ष के लिए निधारित तारीख को अधिकारी द्वारा लिए गए वेतन पर आधारित है।

(ख) सामान्यतः, सांसदों को सम्बन्धित आवास समितियों द्वारा सांसद पूल से वास आबंटित किए जाते हैं। केवल ऐसे सांसदों जो केन्द्र सरकार में संघीय परिषद के मंत्रियों लोकसभा अध्यक्ष, राज्य सभा के सभापति/उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या राज्य सरकार में मंत्री, राज्यपाल, आदि, जैसे पदों पर आसीन हैं, को साधारण पूल से वास उसकी उपलब्धता के अध्यधीन आबंटित किया जा सकता है। केन्द्रीय मंत्रियों को आबंटित करने के लिए 64 बंगले तय किए हुए हैं।

(ग) निम्नलिखित बंगले अभी भी भूतपूर्व मंत्रियों के कब्जे में हैं :

1.	5, बी. आर. मेहता लेन	– श्री के. सी. लेका
2.	4, कुशक रोड	– श्री एम. एम. जैकब
3.	12, तीनमूर्ति लेन	– श्री कमल मुरारका
4.	19, डा० बी. डी. मार्ग	– स्वर्गीय श्री भागे-गोवर्धन का परिवार